न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 35 / 2025
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2025 / 38

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		श्री मांगीलाल पुत्र श्री अमरदास जाति–साद,निवासी–श्रीबालाजी (मैसर्स कनक कैफ श्रीबालाजी) तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :–16.04.2025

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जरिऐ रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया परन्तु उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र की कार्याही में भाग नहीं लिया हैं एवं अप्रार्थी आज भी अनुपस्थित रहा हैं।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी,नागौर एवं श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत मैसर्स कनक कैफ श्रीबालाजी पर आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री मांगीलाल पुत्र श्री अमरदास उपस्थित मिले जिन्होंने अपने आप को उक्त कैफे का मालिक बताया। श्री मांगीलाल की उपस्थिति में इस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। श्री मांगीलाल से घरेलू गैस के भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री मांगीलाल द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवसायिक दुरूपयोग किये जा रहे घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	424401	03.00 किग्रा

उपरोक्त 01 गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स श्री करणी इण्डेन गैस श्री बालाजी के प्रतिनिधि श्री श्री पुनमचन्द की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री मांगीलाल का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस(रेग्यूलेशन ऑफसप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन)

कलक्टर नागौर

ऑर्डर,2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में 01 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया हैं,जबकि फर्द जब्ती पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी के पास घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया हैं। इसलिए जब्त सामग्री राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तसुदा 01(एक) घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate)किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर